



"प्ररूप 26"

(नियम 26 के अंतर्गत)



35
02-01-2016

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) _____ (संघ का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकार के सम्बंध अन्वर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं श्रीमान श्याम प्रसाद सिंह

**पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीमान श्याम प्रसाद सिंह

अवस्था 66 वर्ष जो भारत देश का

नाईम 2 नं. पंजाब - मल्लार

जिला - मल्लार

Shyamshu Prasad
KATHUA
License No. ANOT-875
52704200

(राज्य का नाम) _____ का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अन्वर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित करण करता हूँ/करती हूँ-

(1) मैं इंडियन नेशनल काँग्रेस

(**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा

किया गया अन्वर्थी / **एक उपाध्यक्ष अन्वर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम मनिरात्री

(निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग से 131

के क्रम सं 1030 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 06482-254377

है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) mrp Singh

है।

manish67@gmail.com

(4) भारत-सेवा संस्था (पिन) के ध्येय और आय-कल विवरणी काइल करने की प्राप्ति

क्रम सं.	नाम	पैन	वैसीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी काइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपय में)

Shyamshu Prasad
KATHUA
License No. ANOT-875
52704200

1.	स्वयं	AGNPS 6385 B	शून्य	शून्य
2.	पति या पत्नी	FMAPs 1056N	2014-15	246225
3.	आश्रित-1	CMJPS 6722A	2014-15	246800
4.	आश्रित-2	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित-3	शून्य	शून्य	शून्य

(ग) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए

यदि अभिसंधी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेंगे :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मानता/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण खीरे	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और सज्जन केने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनके आरोप विरचित किए गए थे	शून्य
(च)	जहां सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोधी गई	शून्य



9/8/24
Shambhu Prasad
Kathar
03/08/26

है/है	शून्य
-------	-------

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा सजाय दिया गया है (पूर्ववत)

मदद (j) में वर्णित मामलों से भिन्न:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और सजाय लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के बारे में जहाँ न्यायालय ने सजाय दिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सजाय दिया गया है	शून्य
(ग)	पूर्ववत आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए काइल की गई अपील (अपील)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के बारे में	शून्य

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1961 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) के भिन्न के लिए सिद्धांश उल्लेखित किया गया है/नहीं उल्लेखित किया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है।

यदि अभिसंधी उपर्युक्त रूप में सिद्धांश उल्लेखित किया गया और दंडादेश दिया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धांश उल्लेखित किया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के बारे में अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धांश उल्लेखित किया गया है	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य

gby
Amil Kumar
Adv.
02/04/16

	है (हां या नहीं)	है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिर्माण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	अनुमानित साल बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थिति) सर्वेक्षण संख्या (संख्या)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एक फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ज्या विवरण में कोई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिर्माण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित साल बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	दोषित संपत्ति (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थिति) सर्वेक्षण संख्या (संख्या)	शून्य	निराकारी महिला सर्वेक्षण संख्या 21 दिनांक 20-7	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एक फुट में कुल माप)	शून्य	क्षेत्र (एक फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्माण क्षेत्र (एक फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ज्या विवरण में कोई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	1997	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिर्माण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित साल बाजार मूल्य	शून्य	15 लाख	शून्य	शून्य	शून्य

Shambhu Prasad
Notary Public, Katihar



Shy
Anil Kumar
Adv.
02/07/16

(IV)	आवासीय भूदान (अपार्टमेंट संरचित) (अवस्थिति/संरचना) (अवस्थिति/संरचना)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल भाग)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल भाग)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	यदि विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वायत्त संपत्ति की दशा में अन्य की दशा में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र के समग्र भूमि की दशा में (क्षेत्र की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सुनिश्चन आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिर्माण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित सालाना बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(VII)	पूर्वोक्त (i) से (vi) का कुल सालाना बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(B) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शीर्षकों के धारे नीचे देता हूँ :-

विषय: कुदया बैंक, राखवा, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समस्त रकम के धारों का निष्पक्ष विवरण दें।

क्र.सं.	विवरण	रकम	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	एक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शीर्षक बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वगैरह से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों, निकाय को ऋण या शीर्षक नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	०	०	०	०
	दायित्वों का कुल योग	०	०	०	०	०

phy
Amit Kumar
29/01/16

(ii)	सरकारी शोध : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	अन्य	शून्य	अन्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (यसुवान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	अन्य	अन्य
	जाय-कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	घनकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	संशोधन शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/समुदायिक शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विश्वविद्यालय शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादपूर्ण है, यदि हाँ तो अंदाजित रकम और उस प्राधिकारी द्वारा संशोधन यह तथित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

अ. नि. या संपत्ति का ब्यौरे :

ले. स्वयं घोषणा करें

स्व. पति या पत्नी द्वारा एवं अधिकार

100 नई शैक्षिक अर्हता नीति दिने अनुसार है :-

M.A इतिहास राज्य विधानमंडल 1978

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रमाण को उत्तरित करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें)

gby
Amal Kumar
02/07/16

भाग-ख

(11) भाग-क के (9) से (10) तक में दिए गये धारे का उद्धरण

1	अम्बानी का नाम	श्री/श्रीमती/कुल सनीतर प्लाज्मा मिड				
2	इसका पता	नया प्लेस नईम-2 फेज-अविवारी एन-मिडिली बिल्डिंग-मिडिली				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	67 (अ०म०म०) मालवा नरसिंहपुर				
4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने उम्मीदों को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	इंडियन नेशनल काँग्रेस				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्षों या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने सजा सुनाई है (उपरोक्त (i) चर्चित मामलों से गिनते)	शून्य				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धांत उद्धारा गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (नोट: प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) से निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शून्य				
	का समाप्ति लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आवक विवरणी फाइल की गई है	कुल धारित आय			
	(क) न्यायी	AGNPS 6285 B	शून्य	शून्य		
	(ख) पति या पत्नी	FMAPS 1906 N	2014-15	2468251		
	(ग) आश्रित	CMJPS-6773A	2014-15	2468001		
8	आश्रितों और दायित्वों के धारे (रुपये में)					
	विवरण	रुपये	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जन्म आश्रितियां (कुल मूल्य)	4476936	4076551	1726741	शून्य	शून्य

gby
Amal Kumar
02/01/16

ख	स्थावर आस्तियां	2184000/-	15 लाख	शून्य	शून्य	शून्य
1.	स्वाध्वित स्थावर संपत्ति की कुल कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
II.	कुल के पड़्यात स्थावर संपत्ति की विकास/संशोधन लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(क) स्वाध्वित आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) विसर्पित आस्तियां (कुल मूल्य)					
9	बांटे					
10	सरकारी शांख (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ऐसे दाखिल जो विवादार्थीन हैं					
	(क) सरकारी ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	उत्तम शैलीक अर्हता : M.A इमिडाय पटना जिल्ला विद्यालय : 1972					

96y
Amot Kumar
Adv
02/01/16

	प्रमाणपत्र/विनोद/विहीन के पूर्ण प्रत्येक का उत्तर देते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा विद्यालय/भाषाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का बोध दें।
--	---

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसंधि इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस सत्यापन की विषयवस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुरार सत्य और सही है और इसका कोई भाग छिपाया नहीं गया इसमें से कोई भी सांख्यिक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 8 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या तथित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या तथित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पानी या मेरे अधिकारों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित अवस्थिति या दायित्व से भिन्न कोई अवस्थिति या दायित्व नहीं है।

अतिरिक्त दिनांक 02-01-2016 को सत्यापित किया गया।

मैं, Manohar Prasad Singh अभिभावक

Shatubhu Prasad
Notary Public, Katihar (Bihar)

1. सत्यापन सामाग्री फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना

टिप्पण - 2. सत्यापन पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी सचिव के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण - 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होगा" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण - 4. सत्यापन दस्तावेज या सुधारणरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिलजेंट इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अग्रिमों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दायित्व किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के अलावा में अग्रिमों द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दायित्व किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर

By Manohar Prasad
Date 02/01/16

लिए गये हैं। अगर ऐसा भ्रम फैल गया है तो निर्वाची पदाधिकारी अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मर देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी भद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लगू' नहीं या 'जात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मर दिए जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में अश्वस्त होता है तो नाम निर्देशन पत्र की तस्वीर के समक्ष नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पणी-6: सपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष संपर्क संख्या/संख्याएँ हैं/हैं 01452-258377, 9573198222।

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है mts@mta.mca.nic.in।

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट (अगर कोई हो) है mta।